भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4855
दिनांक 31.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कुवैत में कार्यरत इंजीनियर

4855. एडवोकेट ए. एम. आरिफ़:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स द्वारा भारतीय इंजीनियरो द्वारा चलाए जा रहे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए एनबीए प्रत्यायन पर जोर दिए जाने के कारण कुवैत में काम करने वाले अधिकांश भारतीय इंजीनियरों की नौकरी चली जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने कुवैत में संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करके भारतीय इंजीनियरों के हितों की रक्षा करने वाले मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए कोई कदम उठाए है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुवैत में ऐसे कार्यरत भारतीय इंजीनियरों की संख्या कितनी हैं जिन्होंने वर्ष 2012 से पहले और बाद में पृथक–पृथक रूप में एनबीए से मान्यता प्राप्त और गैर–एनबीए मान्यता प्राप्त संस्थानो से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) सरकार को कुवैत में भारतीय इंजीनियरों के समक्ष आने वाली कुछ कठिनाइयों की जानकारी है जो गैर–एनबीए प्रत्यायित संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले इंजीनियरों के संबंध में कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स (केएसई) द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारण है।

(ख) भारत सरकार मार्च 2018, जब कुवैत के लोक प्राधिकरण ने अपनी अधिसूचना के तहत प्रवासी इंजीनियरों के निवास के नवीनीकरण के लिए कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया था, से इस मामले पर सक्रिय रूप से कार्रवाई रही है। कुवैत राज्य के साथ द्विपक्षीय आदान–प्रदान के दौरान इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया गया है।

विदेश मंत्रालय ने जून 2018 में कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर और कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली आने में मदद की थी। प्रतिनिधिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई और एनबीए के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बाद भारत के दूतावास, कुवैत और केएसई के बीच नियमित बैठकों के एक तंत्र के आधार पर कई मामलों का समाधान किया गया।

सरकार ने हाल के महीनों में सतत संपर्क के माध्यम से कुवैती पक्ष को भी लगातार स्पष्ट किया है कि भारत में विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों को यथालागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) सहित प्रत्यायन अनिवार्य नहीं है। भारत में गैर–एनबीए प्रमुख संस्थानों {टॉप नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तकनीकी संस्थानों और एआईसीटीई के अंतर्गत एनएएसी द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों} एवं 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों' की एक व्यापक सूची भी कुवैती प्राधिकारियों के साथ साझा की गई है।

विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय कुवैत में भारतीय इंजीनियरों के प्रत्यायन से संबंधित मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए एनबीए, यूजीसी और एआईसीटीई के साथ निरंतर मिलकर कार्य कर रहे हैं। एनबीए उन गैर प्रत्यायित भारतीय संस्थानों के शीघ्र प्रत्यायन के लिए कार्य कर रहा है जिनके इंजीनियर/पेशेवर कुवैत में कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों को उनके पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए राजी किया जाता है और एनबीए द्वारा प्रत्यायन हेतु उनके आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार कार्रवाई की जाती है।

(ग) विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिसंबर 2022 में भारत के दूतावास, कुवैत द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पंजीकरण अभियान के दौरान कुवैत में लगभग 5500 भारतीय इंजीनियरों ने पंजीकरण कराया।

*****